

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएं)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर नीमच जिले के अन्तर्गत वन मंडल नीमच में एमपी-30 गांधी सागर ऑफ-स्ट्रिम पम्पेड स्टोरेज परियोजना (1440 मेगावाट) के निर्माण हेतु 301.96 हेक्टेयर वनभूमि ग्रीनको एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: .06.2020

स्थान: भोपाल


 07/06/21
 (संजय माहरीर)
 प्रदेश सचिव वन विभाग
 म.प्र. शासन वन विभाग
 मध्य प्रदेश

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)